

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 26.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा नियम, 2005, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "प्राधिकरण" से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण जिसके अंतर्गत इसके सभी अधीनस्थ कार्यालय भी हैं, अभिप्रेत है ;
- (ख) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;
- (ग) "नियंत्रक प्राधिकारी" से भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय अभिप्रेत है ;
- (घ) "समिति" से अनुसूची III में यथाविनिर्दिष्ट किसी श्रेणी में अधिकारियों की प्रोन्नति, पुष्टिकरण एवं अकृत्यिक उन्नयन पर विचार करने के लिए इन नियमों के अधीन गठित विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा विभागीय पुष्टिकरण समिति अथवा जांच (स्क्रीनिंग) समिति अभिप्रेत है ;
- (ङ) "कर्तव्य पद" से अनुसूची 1 के कालम 3 में सम्मिलित कोई पद अभिप्रेत है ;
- (च) "परीक्षा" से विभिन्न कर्तव्य पदों पर भर्ती के लिए जो समय-समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, आयोग द्वारा संचालित की गई सम्मिलित अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा अभिप्रेत है ;
- (छ) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है ;
- (ज) "श्रेणी" से अनुसूची 1 के स्तंभ-2 में विनिर्दिष्ट श्रेणी (ग्रेड) अभिप्रेत है ;
- (झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" के वही अर्थ एवं प्रयोज्यता होंगी जैसी कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तारीख 8 सितंबर, 1993 के का.ज्ञा. संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) में अधिकथित है ;
- (ञ) किसी भी श्रेणी के संबंध में "नियमित सेवा" से उस श्रेणी में दीर्घकालिक नियुक्ति के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली गई ऐसी अवधि या अवधियां भी हैं ;
- (i) सेवा के आरंभिक गठन पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के मामले में ;
- (ii) जिसके दौरान कोई अधिकारी उस श्रेणी में कर्तव्य पद को धारण करता यदि वह छुट्टी पर नहीं होता या ऐसे पद को धारण करने के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं होता ;
- (ट) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ठ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" के वही अर्थ होंगे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और खंड (25) में निर्दिष्ट है ;
- (ड) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह 'क') सेवा अभिप्रेत है ;

3. केंद्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह "क") सेवा का गठन (1) — इन नियमों के आरम्भ की तारीख को केंद्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह "क") सेवा में नियमित आधार पर कर्तव्य पद (समूह क) धारित करने वाले सभी विद्यमान अधिकारी संबंधित ग्रेडों में सेवा के सदस्य होंगे ।

(2) इन नियमों के आरम्भ से पूर्व उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों की नियमित निरंतर सेवा परीक्षा, पदोन्नति के लिए अर्हता सेवा, पुष्टि, अकृत्यिक उन्नयन तथा पेंशन के प्रयोजन के लिए यदि लागू हो, गणना में ली जाएगी ।

(3) उस सीमा तक, जहां तक नियंत्रक प्राधिकारी इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न ग्रेडों की प्राधिकृत नियमित संख्या को भरने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो इन्हें नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा ।

(4) सेवा में शामिल सभी कर्तव्य पदों को समूह "क" पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

4. श्रेणियां संख्या और उसका पुनर्विलोकन- (1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पद, उनकी संख्या और वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट हैं ।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, सरकार -

(क) समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों में कर्तव्य पदों की संख्या में अस्थायी परिवर्धन या परिवर्तन कर सकेगी ;

(ख) आयोग के परामर्श से, अनुसूची 1 में सम्मिलित किए गए कर्तव्य पदों से भिन्न कोई पद सेवा में सम्मिलित कर सकेगी या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किए गए किन्हीं कर्तव्य पदों की सेवा से अपवर्णित कर सकेगी ।

(ग) आयोग के परामर्श से किसी अधिकारी की, किसी कर्तव्य पद पर जो खंड (ख) के अधीन सेवा में सम्मिलित किया गया है, समुचित श्रेणी में अस्थायी हैसियत में या अधिष्ठायी हैसियत में नियुक्त कर सकेगी ।

5. सेवा के सदस्य- (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे :

(क) नियम 3 के अधीन कर्तव्य पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति ; और

(ख) नियम 6 के अधीन कर्तव्य पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति ।

(2) उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को, ऐसी नियुक्ति पर अनुसूची 1 में उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जाएगा ।

(3) उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति की तारीख से, अनुसूची 1 में उसको लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जाएगा ।

6. सेवा का भविष्य में बनाए रखा जाना - (1) अनुसूची 1 में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में रिक्त कर्तव्य पद को इस नियम में इसके पश्चात् उपबंधित रीति से भरा जाएगा ।

(2) सेवा में सम्मिलित कर्तव्य पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र और चयन का क्षेत्र वह होगा जो अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट हैं ।

(3) सेवा की विभिन्न कृत्यकारी श्रेणियों में प्रोन्नतियों के लिए अधिकारियों का चयन अनुसूची-III के भाग (क) के अनुसार विभागीय प्रोन्नति समितियों की सिफारिश पर चयन द्वारा किया जाएगा ।

परंतु सेवा के ज्येष्ठ कालमान में (अकृत्यिक दूसरी श्रेणी) कर्तव्य पदों पर नियुक्त अनुसूची-III के भाग (ख) के अनुसार गठित जांच (स्क्रीनिंग) समिति की सिफारिशों पर उपयुक्तता पर आधारित ज्येष्ठता के अनुसार की जाएगी ।

7. अकृत्यिक उन्नयन -

(1) जब कभी राज्य अथवा संयुक्त काडर का कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी केन्द्र में किसी श्रेणी विशेष में नियुक्त किया जाता है जिसका वेतन बैंड 3 अथवा वेतन बैंड 4 अथवा उच्च प्रशासनिक श्रेणी (एचएजी) में निर्दिष्ट ग्रेड वेतन हो, तो सेवा के बैच में

से संबंधित उन अधिकारियों को, जो दो वर्ष अथवा उससे अधिक ज्येष्ठ हैं और अभी तक उस ग्रेड विशेष में प्रोन्नत नहीं किए गए हैं, अनुसूची III के भाग "ग" के अनुसार गठित विभागीय जांच समिति की सिफारिशों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की केंद्र में उस ग्रेड विशेष पर तैनाती की तारीख से अकृत्यिक आधार पर समान ग्रेड प्रदान किया जाएगा।

(2) उच्चतर वेतनमान प्रदान करने के लिए स्क्रीनिंग के समय किसी विशेष ग्रेड वेतन पर उन्नयन हेतु 'बेंचमार्क' सहित सभी विहित अर्हता मानदंड एवं प्रोन्नति सन्निधम पूरे करने होंगे।

(3) अकृत्यिक आधार पर उच्चतर वेतनमान प्रदान करने हेतु अन्य निबंधन एवं शर्तें इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार होंगी।

8. ज्येष्ठता - (1) सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता इन नियमों के आरंभ होने की तिथि से पूर्व ही यथानिर्धारित उनके संबंधित ग्रेड में, सापेक्ष ज्येष्ठता होगी।

परन्तु यदि ऐसे किसी सदस्य की ज्येष्ठता इन नियमों के आरंभ होने से पूर्व अवधारित नहीं की गई थी तो, यह नियंत्रण अधिकारी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा ज्येष्ठता के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए साधारण आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(2) प्रारंभिक गठन के बाद सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(3) ऐसे मामलों की दशा में जो उपनियम (1) और (2) के अंतर्गत नहीं आते, सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से ज्येष्ठता अवधारित की जाएगी।

9. परिवीक्षा - (1) सेवा के कनिष्ठ कालमान की किसी श्रेणी में सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेगा ;

परन्तु नियंत्रण प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि को सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार आगे बढ़ा सकेगा ;

परन्तु यह और कि परिवीक्षा अवधि के विस्तारण के लिए कोई भी विनिश्चय सामान्यतः पूर्ववर्ती परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति के पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर लेना होगा और लिखित में संबद्ध अधिकारी को ऐसा करने के लिए कारणों के साथ उक्त अवधि के भीतर संसूचित करना होगा।

(2) परिवीक्षा अवधि या उसके किसी विस्तारण के पूरा होने पर अधिकारियों पर सरकार के विस्तार आदेशों के निबंधनों के अनुसार पुष्टि के लिए विचार किया जाएगा।

(3) यदि परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तारण, जैसा भी मामला हो, के दौरान सरकार की यह राय है कि अधिकारी पुष्टि के लिए उपयुक्त नहीं है तो सरकार उस अधिकारी को, जैसा भी मामला हो, सेवान्मुक्त कर सकेगी या सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगी।

(4) परिवीक्षा अवधि या उसके विस्तारण के दौरान अभ्यर्थियों से सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि वे ऐसी शर्तों पर जो सरकार द्वारा विहित की जा सकेगी, ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अनुदेश पूरा करें और ऐसी परीक्षाएं और परीक्षण (जिसके अंतर्गत हिन्दी में परीक्षा भी है), जैसा सरकार उचित समझे, उत्तीर्ण करें।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में सेवा संबंधी मामले इस संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

10. तैनाती - सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी, भारत में या विदेश में, कहीं भी सेवा करने के दायित्वाधीन होंगे।

11. प्रतिनियुक्ति - (1) नियम 10 में किसी के बात के होते हुए भी सेवा में या सेवा के काडर में कर्तव्य पद पर नियुक्त किए गए अधिकारी किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य केंद्रीय सेवा या संघ राज्य क्षेत्र की सेवा या विदेश सेवा में किसी निकाय में, चाहे निगमित हो या न हो जो पूर्णतः या सारभूत रूप से सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, समय-समय पर लागू सरकार के अनुदेशों अथवा आदेशों के अधीन रहते हुए सामान्यतः एक समय में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जहां आवश्यक समझा जाए, उसे दो वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर भेजे जाने के दायित्वाधीन होंगे।

(2) उस अवधि के दौरान जिसमें वे इन नियमों के अधीन किसी प्राधिकरण से प्रतिनियुक्ति पर या विदेश सेवा पर हैं, अधिकारियों की सेवा शर्तें ऐसे आदेशों द्वारा शासित होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।

परंतु ऐसे अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा से तुरंत पहले लागू सेवा की शर्तें उस अवधि के दौरान जिसमें वे प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा में हैं, उनके अलाभकर रूप में फेरफारित नहीं की जाएंगी।

12. व्यावृत्ति .-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

13. रक्षा सेवाओं या रक्षा से संबंधित पदों पर सेवा करने का दायित्व .-सेवा में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर कम-से-कम चार वर्ष की अवधि के लिए जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि, यदि कोई है, भी है, सेवा करने के लिए दायी होगा।

परंतु ऐसे व्यक्ति से -

- (i) सेवा में नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथापूर्वोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;
- (ii) यथापूर्वोक्त सेवा करने की सामान्यतया अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि उसने चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।

14. निरर्हता.— वह व्यक्ति,—

- (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

15. अवशिष्ट मामले .—ऐसे विषयों की बाबत, जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें वही होंगी जो अन्य केंद्रीय सिविल सेवा (समूह 'क') के अधिकारियों को समय-समय पर लागू हैं।

16. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

17. निर्वचन .- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जाएगा।

अनुसूची-1

[नियम 2(ड), 3, 4(1), 4(2)(ख), 5(2), 5(3) और 6(1) देखें]

केंद्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह "क") सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पदों के नाम, संख्या और वेतन बैंड जिसके अंतर्गत ग्रेड वेतन भी है।

क्रम सं.	श्रेणी	श्रेणी में सम्मिलित कर्तव्य पदों के नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी	प्रधान मुख्य अभियंता	2	67000 रुपए (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3 प्रतिशत)- 79000
2	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	प्रधान इंजीनियर अथवा सदस्य सचिव, क्षेत्रीय विद्युत समिति	45	वेतन बैंड-4, 37400- 67000 रुपए + ग्रेड वेतन 10000 रुपए
3	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	निदेशक (इंजीनियरी) अथवा अधीक्षण इंजीनियर अथवा सिस्टम इंजीनियर	94	वेतन बैंड-4, 37400- 67000 रुपए + ग्रेड वेतन 8700 रुपए
4	ज्येष्ठ कालमान (अकृत्यिक) दूसरी श्रेणी	उप निदेशक (इंजीनियरी) अथवा कार्यपालक इंजीनियर अथवा सहायक सचिव, क्षेत्रीय विद्युत समिति अथवा परियोजना मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीक विश्लेषक अथवा ज्येष्ठ डाटा विश्लेषक अथवा उप निदेशक (संपादक) अथवा उप सिस्टम इंजीनियर	@	वेतन बैंड-3, 15600- 39100 रुपए + ग्रेड वेतन 7600 रुपए
5	ज्येष्ठ कालमान	उप निदेशक (इंजीनियरी) अथवा कार्यपालक इंजीनियर अथवा सहायक सचिव, क्षेत्रीय विद्युत समिति अथवा परियोजना मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीक विश्लेषक अथवा ज्येष्ठ डाटा विश्लेषक अथवा उप निदेशक (संपादक) अथवा उप सिस्टम इंजीनियर	160	वेतन बैंड-3, 15600- 39100 रुपए + ग्रेड वेतन 6600 रुपए
6	कनिष्ठ कालमान	सहायक निदेशक (इंजीनियरी) (श्रेणी-1) अथवा सहायक कार्यपालक इंजीनियर अथवा कनिष्ठ डाटा विश्लेषक अथवा सहायक सिस्टम इंजीनियर	131	वेतन बैंड-3, 15600- 39100 रुपए + ग्रेड वेतन 5400 रुपए

टिप्पण -1: इस अनुसूची की किसी विशिष्ट श्रेणी में सम्मिलित पद एक-दूसरे के साथ अन्तर्बदल हैं।

@ ज्येष्ठ कालमान (अकृत्यिक दूसरी श्रेणी) पदों की संख्या ज्येष्ठ कर्तव्य पदों अर्थात् ज्येष्ठ कालमान के स्तर के पदों का तीस प्रतिशत होगी और काडर में उपर्युक्त ज्येष्ठ कालमान में पदों की संख्या तक सीमित होगी। तथापि, काडर की कुल संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी।

अनुसूची-II

[नियम 6 (2) देखें]

भाग-क

केंद्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह क) सेवा में सम्मिलित कर्तव्य पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र और चयन का क्षेत्र :

क्र. सं.	श्रेणी	भर्ती की पद्धति	प्रोन्नति का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्नति चयन द्वारा	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (37400-67000 रुपए + ग्रेड वेतन 10000 रुपए) में मुख्य अभियंता अथवा सदस्य सचिव, क्षेत्रीय विद्युत समिति, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो अथवा सेवा में समूह 'क' पद पर पच्चीस वर्षों की नियमित सेवा वाले अधिकारी जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में की गई हो।
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्नति चयन द्वारा	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (37400-67000 रुपए + ग्रेड वेतन 8700 रुपए) में निदेशक (इंजीनियर) या अधीक्षण इंजीनियर या सिस्टम इंजीनियर जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा सेवा में समूह 'क' पद पर सत्रह वर्षों की नियमित सेवा अधिकारी, जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा वेतन बैंड-4, + ग्रेड वेतन 8700 रुपए में की गई हो और तीन वर्षों का फील्ड अनुभव या सेवा की किसी भी श्रेणी में अन्वेषण का तीन वर्षों का अनुभव रखते हों।
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्नति चयन द्वारा	जो ज्येष्ठ कालमान (अकृत्यिक दूसरी श्रेणी) अथवा साधारण (15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 7600/6600 रुपए) में उप निदेशक (इंजीनियरी) अथवा कार्यपालक इंजीनियर अथवा सहायक सचिव, क्षेत्रीय विद्युत समिति अथवा परियोजना मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीक विश्लेषक अथवा ज्येष्ठ डाटा विश्लेषक अथवा उप निदेशक (संपादक) अथवा उप सिस्टम इंजीनियर, जिन्होंने सेवा में समूह 'क' पद पर तेरह वर्ष की नियमित सेवा की हो और उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा जिसके

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	ज्येष्ठ कालमान (अकृत्यिक दूसरी श्रेणी)	उपयुक्तता के अध्यक्षीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर स्थानन द्वारा	अंतर्गत अकृत्यिक दूसरी श्रेणी में की गई सेवा भी है, की हो; अथवा उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा, जिसके अंतर्गत सेवा के ज्येष्ठ कालमानमें अकृत्यिक दूसरी श्रेणी में की गई नियमित सेवा, यदि कोई हो, भी है, की हो। (15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 6600 रुपए) में ऐसे उप निदेशक (इंजीनियरी) अथवा कार्यपालक इंजीनियर अथवा सहायक सचिव, क्षेत्रीय विद्युत समिति अथवा परियोजना मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीक विश्लेषक अथवा ज्येष्ठ डाटा विश्लेषक अथवा उप निदेशक (संपादक) अथवा उप सिस्टम इंजीनियर, जिन्होंने सेवा की उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।
5.	ज्येष्ठ कालमान	प्रोन्नति चयन द्वारा	कनिष्ठ कालमान (15600-39100 + ग्रेड वेतन 5400 रुपए) में ऐसे सहायक निदेशक (इंजीनियरी)(श्रेणी-1) अथवा सहायक कार्यपालक इंजीनियर अथवा कनिष्ठ डाटा विश्लेषक अथवा सहायक सिस्टम इंजीनियर, जिन्होंने सेवा की उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।
6.	कनिष्ठ कालमान	(i) 50 प्रतिशत रिक्तियां प्रोन्नति द्वारा, (ii) 50 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूची IV के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	सहायक निदेशक (इंजीनियरी)(श्रेणी-2) अथवा केंद्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह ख) सेवा (9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4800 रुपए) में सहायक इंजीनियर, जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य हो।

टिप्पण 1- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

571 5715-5

अनुसूची-III

[नियम 6 (3) और 7 (1) देखें]

भाग-क

केंद्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह "क") सेवा में सम्मिलित किए गए समूह "क" पदों में अधिकारियों की प्रोन्नति और पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना :

क्र. सं.	इयूटी पद का नाम	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होने वाले अधिकारियों की पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी	(i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (ii) सचिव या विशेष सचिव, विद्युत मंत्रालय —सदस्य (iii) अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण —सदस्य	लागू नहीं होता
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	(i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (ii) सचिव या विशेष सचिव, विद्युत मंत्रालय —सदस्य (iii) अध्यक्ष, या सदस्य केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण —सदस्य	लागू नहीं होता
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	(i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (ii) विशेष सचिव या अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय —सदस्य (iii) अध्यक्ष या सदस्य केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण —सदस्य	लागू नहीं होता
4.	कनिष्ठ कालमान	(i) अध्यक्ष या सदस्य, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण —अध्यक्ष (ii) सचिव, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण —सदस्य (iii) निदेशक/उपसचिव (प्रशासन) विद्युत प्राधिकरण —सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	कनिष्ठ कालमान	(i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष या सदस्य या सचिव, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण—सदस्य (iii) संयुक्त सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय —सदस्य	(i) अध्यक्ष या सदस्य, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण —अध्यक्ष (ii) सचिव, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण —सदस्य (iii) निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण —सदस्य

भाग-ख

केंद्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह "क") सेवा में ज्येष्ठ कालमान (अकृत्यिक दूसरी श्रेणी) में पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों के चयन पर विचार करने के लिए स्क्रीनिंग समिति की संरचना :

क्र. सं.	श्रेणी	स्क्रीनिंग समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)
1.	ज्येष्ठ कालमान (अकृत्यिक दूसरी श्रेणी)	(i) अध्यक्ष या सदस्य, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण —अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय —सदस्य (iii) सचिव, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण —सदस्य

भाग-ग

[नियम 7 देखें]

केंद्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह "क") सेवा में सम्मिलित किए गए पदों पर अकृत्यिक उन्नयन (एनएफयू) के अनुदान पर विचार करने के लिए स्क्रीनिंग समिति की संरचना :

क्र. सं.	पद का नाम	स्क्रीनिंग समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी	(i) सचिव, विद्युत मंत्रालय —अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण —सदस्य (iii) अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग —सदस्य
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, एसटीएस (एनएफएसजी) और ज्येष्ठ कालमान	(i) सचिव, विद्युत मंत्रालय —अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण —सदस्य (iii) सदस्य, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण —सदस्य

अनुसूची-IV

[अनुसूची-II के भाग-क, क्रम सं. 6 स्तंभ 3 देखें]

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर केंद्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह "क") सेवा के पदों पर सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता और आयु-सीमा :

(क) अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए :-

(क) भारत में केंद्रीय अथवा राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा निर्गमित विश्वविद्यालय अथवा संसद के अधिनियम के रूप में स्थापित अन्य शैक्षिक संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य घोषित विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिग्री : अथवा

(ख) इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर (इंडिया) की संस्था परीक्षा का भाग क और ख पास किया हो ; अथवा

(ग) किसी ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज अथवा संस्था और ऐसी शर्तों के अधीन इंजीनियरी में डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त किया हो जिन्हें सरकार इस उद्देश्य हेतु समय-समय पर मान्यता प्रदान की जा सकती हो ; अथवा

(घ) इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स (इंडिया) की स्नातक सदस्यता परीक्षा पास की हो ; अथवा

(ङ) एरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया की एनोसिएट सदस्यता परीक्षा भाग II और III अथवा खण्ड 'क' और 'ख' पास की हो ; अथवा

(च) नवंबर, 1959 के पश्चात् आयोजित इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रेडियो इंजीनियर, लंदन की स्नातक सदस्यता परीक्षा पास की हो; अथवा

(छ) विशेष विषय के रूप में वायरलेस संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो फिजिक्स अथवा रेडियो इंजीनियरी के साथ एमएससी की डिग्री अथवा इसके समतुल्य धारित किए हुए हो ।

टिप्पण :

(1) असाधारण मामलों में, आयोग उपर्युक्त कोई अर्हताएं न रखने वाले किसी अभ्यर्थी को शैक्षिक रूप से अर्हित मान सकता है, परन्तु यह कि आयोग इस बात से संतुष्ट हो कि अभ्यर्थी ने जिन अन्य संस्थानों द्वारा संचालित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, जिनका स्तर आयोग की राय में उसके इस परीक्षा में प्रवेश को न्यायोचित ठहराती हैं ।

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो किसी ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से ली गई डिग्री के आधार पर अन्यथा अर्हित हो, जो सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है, भी आयोग को आवेदन कर सकता है और आयोग के विवेक पर परीक्षा में प्रवेश प्राप्त कर सकता है ।

(ख) जिस वर्ष परीक्षा आयोजित की जाए उस वर्ष की 1 जनवरी को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

[फा. सं. ए-12018/1/2014-प्रशा. 1]

पी. पी. बोस, अवर सचिव

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 6th February, 2015

G.S.R.26.— In exercise of the Powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Power Engineering (Group "A") Service Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These Rules may be called the Central Power Engineering (Group "A") Service Rules, 2015.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions:**— In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Authority" means the Central Electricity Authority and includes all its subordinate offices;

(b) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(c) "Controlling Authority" means the Ministry of Power in the Government of India;

(d) "Committee" means the Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee or Screening Committee constituted under these rules to consider promotion, confirmation and Non-Functional up-gradation of officers in any grade as specified in Schedule-III;

(e) "duty post" means any post included in column 3 of Schedule-I;

(f) "examination" means the Combined Engineering Services Examination conducted by the Commission for recruitment to various duty posts as may be specified by the Commission from time to time;

(g) "Government" means the Government of India;

(h) "grade" means a grade of the Service specified in column 2 of Schedule-I;

(i) "Other Backward Classes" shall have the same meaning and applicability as laid down in Department of Personnel and Training OM No. 36012/22/93-Estt.(SCT), dated the 8th September, 1993;

(j) "regular service" in relation to any grade, means the period or periods of service in that grade rendered after selection according to the specified procedure for long term appointments to that grade and includes any period or periods taken into account for purposes of seniority -

(i) in case of those appointed at the initial constitution of the Service;

(ii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts;

(k) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(l) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meaning as assigned to them in clauses (24) and (25) respectively of the article 366 of the Constitution of India;

(m) "Service" means the Central Power Engineering (Group "A") Service constituted under rule 3;

3. **Constitution of the Central Power Engineering (Group "A") Service.**— (1) All existing officers holding (Group "A") duty posts on regular basis, in the Central Power Engineering (Group "A") Service on the date of commencement of these rules, shall be members of the Service in the respective grades.

(2) The regular continuous service of officers referred to in sub-rule (1) before the commencement of these rules shall count for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation, Non functional Up-gradation and pension if applicable, in the Service.

(3) To the extent, the Controlling Authority is not able to fill the authorized regular strength of various grades in accordance with the provisions of this rule; the same shall be filled in accordance with the provisions of rule 6.

(4) All the duty posts included in the Service shall be classified as Group "A" posts.

4. **Grades, strength and its review.**— (1) The duty posts included in the various grades, their numbers and scales of pay on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule-I.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Government may:-

(a) from time to time make temporary additions or alterations to the strength of the duty posts in various grades;

571 537 15-6

(b) in consultation with the Commission, include in the Service any duty post other than those included in Schedule-I or exclude from the Service any duty post included in the said schedule;

(c) in consultation with the Commission, appoint an officer in a duty post included in the service under clause (b) to the appropriate grade in a temporary capacity or in a substantive capacity.

5. Members of the Service.—(1) The following persons shall be the members of the Service:-

(a) persons appointed to duty posts under rule 3; and

(b) persons appointed to duty posts under rule 6;

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be the member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule-I.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be the member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule-I, from the date of such appointment.

6. Future maintenance of the Service.—(1) The vacant duty posts in any of the grades referred to in schedule I, shall be filled in the manner hereinafter provided in this rule.

(2) The method of recruitment, the field of promotion and the field of selection for appointment to duty posts included in the Service shall be as specified in Schedule-II;

(3) The Selection of officers for promotion to the various functional grades of the Service shall be made by selection on the recommendations of the Departmental Promotion Committee in accordance with Part A of Schedule III:

Provided that the appointment to duty posts in the Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade) of the Service shall be made according to seniority based on suitability on the recommendations of the Screening Committee constituted in accordance with Part B of Schedule-III.

7. Non Functional Up-gradation. —

(1) Whenever an Indian Administrative Service Officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying a specific Grade Pay in Pay Band 3 or Pay Band 4 or Higher Administrative Grade (HAG), the officers belonging to batches of the Service that are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade, would be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service Officers in that particular grade at the Centre on the recommendations of the Departmental Screening Committee constituted in accordance with Part C of Schedule III.

(2) All the prescribed eligibility criteria and promotional norms including 'bench mark' for up-gradation to a particular grade pay would have to be met at the time of screening for grant of higher pay scale.

(3) The other terms and conditions for grant of higher pay scale on non-functional basis shall be as per orders and instructions issued in the matter by the Central Government from time to time.

8. Seniority.—(1) The relative seniority of the members of the Service shall be the relative seniority in their respective grades as already determined before the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any such member had not been determined before the commencement of these rules, it shall be determined by the Controlling Authority in accordance with the general orders or instructions on seniority issued by the Central Government from time to time.

(2) The seniority of persons recruited to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government in the matter from time to time.

(3) In the cases not covered by sub-rules (1) and (2), seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

9. Probation. — (1) Every officer appointed to the grade of Junior Time Scale of the Service, either by direct recruitment or by promotion, shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this behalf :

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing, within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officers shall be considered for confirmation in terms of the extant orders of the Government.

(3) If, during the period of probation, or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that the officer is not fit for confirmation, Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof, candidates may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit, on such conditions as may be specified by the Government.

(5) As regards other matters relating to probation, the matters of the Service will be governed by the instructions issued by the Government in this regard from time to time.

10. Posting.— Officers appointed to the Service shall be liable to be posted anywhere in India or abroad.

11. Deputation.— (1) Notwithstanding anything contained in rule 10, officers appointed to the Service or duty posts borne on the cadre of the Service shall be liable to be sent on deputation or on absorption to any other Government Department or to any other Central Service or to a Union Territory or on foreign service to a body whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government, subject to the Government instructions or orders in force from time to time ordinarily for a period not exceeding three years at a time, which may be extended, where considered necessary, up to a further period of two years.

(2) The conditions of service of officers during the period they are on deputation or on foreign service from the Authority under these Rules shall be governed by such orders as may be issued by the Government from time to time:

Provided that the conditions of service applicable to such officers immediately before deputation or on Foreign Service, shall not be varied to their disadvantage during the period they are on deputation or on foreign service.

12. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time, in this regard.

13. Liability to serve Defence Services or posts connected with Defence.— Every person appointed to the Service, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training, if any:

Provided that such person,

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment to the Service;

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

14. Disqualifications.— No person, -

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

15. Residuary matters.— The conditions of service of members of the Service in respect of matters for which no provision is made in these rules, shall be the same as are applicable, from time to time, to officers of other Central Civil Service (Group "A").

16. **Power to relax.**—Where the Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

17. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Government.

SCHEDULE-I

[See rules 2(e), 3, 4(1), 4(2)(b), 5(2), 5(3) and 6(1)]

Name, number and Pay Band including Grade Pay, of duty posts included in the various grades of the Central Power Engineering (Group "A") Service:

Sl. No.	Grade	Name of the duty posts included in the grade	Number of duty posts	Pay Band and Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Higher Administrative Grade.	Principal Chief Engineer	2	Rs. 67000-(Annual increment @3 per cent)-79000
2.	Senior Administrative Grade.	Chief Engineer or Member Secretary, Regional Power Committee	45	Pay Band-4, Rs. 37400-67000 with Grade Pay Rs. 10,000
3.	Junior Administrative Grade.	Director (Engineering) or Superintending Engineer or System Engineer	94	Pay Band-4, Rs. 37400-67000 with Grade Pay Rs.8,700
4.	Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade).	Deputy Director (Engineering) or Executive Engineer or Assistant Secretary, Regional Power Committee or Project Evaluation and Review Technique Analyst or Senior Data Analyst or Deputy Director (Editor) or Deputy System Engineer	@	Pay Band-3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay Rs.7,600
5.	Senior Time Scale.	Deputy Director (Engineering) or Executive Engineer or Assistant Secretary, Regional Power Committee or Project Evaluation and Review Technique Analyst or Senior Data Analyst or Deputy Director (Editor) or Deputy System Engineer	160	Pay Band-3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay Rs.6,600
6.	Junior Time Scale.	Assistant Director (Engineering) (Grade-I) or Assistant Executive Engineer or Junior Data Analyst or Assistant System Engineer	131	Pay Band-3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay Rs. 5,400

Note-1: The posts included in a particular grade in this schedule are interchangeable with one another.

@ The number of posts in Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade) shall be thirty per cent of the senior duty posts, i.e. at the level of Senior Time Scale and above in the cadre, limited to the number of posts in the Senior Time Scale. However, there shall be no increase in the overall strength of the cadre.

Schedule-II

[See Rule 6(2)]

Part-A

Method of Recruitment, field of promotion and the field of selection for appointment to the duty posts included in the Central Power Engineering (Group "A") Service:

Sl. No.	Grade	Method of recruitment	Field of promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Higher Administrative Grade	Promotion by selection	Chief Engineer or Member Secretary, Regional Power Committee In the Senior Administrative Grade (Rs.37400-67000 with grade pay of Rs.10000) with three years regular service in the grade; or Officers with twenty five years regular service in Group "A" posts in the service out of which at least one year regular service in the Senior Administrative Grade.
2.	Senior Administrative Grade	Promotion by selection	Director (Engineering) or Superintending Engineer or System Engineer in the Junior Administrative Grade (Rs. 37400-67000 with grade pay of Rs.8700) with three years regular service in the Grade or Officers with seventeen years regular service in Group "A" posts in the service out of which at least one year regular service should be in the PB-4 grade pay of Rs. 8700, and possessing three years field experience or three years experience of investigation in any grade of the Service.
3.	Junior Administrative Grade	Promotion by selection	Deputy Director (Engineering) or Executive Engineer or Assistant Secretary, Regional Power Committee or Project Evaluation and Review Technique Analyst or Senior Data Analyst or Deputy Director (Editor) or Deputy System Engineer In the Senior Time Scale (Non Functional Second Grade) or Ordinary (Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.7600/6600) who have completed thirteen years regular service in Group "A" posts in the Service and regular service of four years in the grade including the service rendered in the Non-Functional Second Grade; or nine years regular service in the grade including regular service, if any, rendered in the Non-Functional Second Grade in Senior Time Scale of the Service.
4.	Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade)	By placement on the basis of seniority subject to suitability	Deputy Director(Engineering) or Executive Engineer or Assistant Secretary, Regional Power Committee or Project Evaluation and Review Technique Analyst or Senior Data Analyst or Deputy Director (Editor) or Deputy System Engineer (Rs.15600-39100 with grade pay of Rs. 6600) with five years regular service in the grade of the Service.

57/57/15-7

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Senior Time Scale	Promotion by selection.	Assistant Director (Engineering) (Grade-I) or Assistant Executive Engineer or Junior Data Analyst or Assistant System Engineer in the Junior Time Scale (Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.5400) with four years regular service in the grade in the Service.
6.	Junior Time Scale	(i) 50 per cent of vacancies by promotion (ii) 50 per cent of the vacancies by Direct Recruitment through Combined Engineering Services Examination conducted by Union Public Service Commission as per Schedule-IV.	Assistant Director (Engineering) (Grade-II) or Assistant Engineer in the Central Power Engineering (Group "B") Service (Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4800) with two years regular service in the grade and possessing a Degree in Engineering from a recognized Institute or equivalent.

Note (1): Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note (2): For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Schedule-III

[See Rule 6(3) and rule 7(1)]

Part-A

Composition of Group "A" Departmental Promotion Committee for considering cases of promotion and confirmation of officers in Group "A" posts included in the Central Power Engineering (Group "A") Service

Sl. No.	Name of the duty post	Group "A" Departmental Promotion Committee (for considering promotion).	Group "A" Departmental Promotion Committee for considering confirmation of officers appointed by direct recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Higher Administrative Grade	(i) Chairman or Member Union Public Service Commission (ii) Secretary or Special Secretary or Ministry of Power (iii) Chairperson, Central Electricity Authority	—Chairman —Member —Member
			Not applicable.

Part-B

Composition of Screening Committee for considering selection of officers for appointment to posts in Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade) in the Central Power Engineering (Group "A") Service:

Sl. No.	Grade	Composition of Screening Committee
(1)	(2)	(3)
1.	Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade)	(i) Chairman or Member Central Electricity Authority —Chairman (ii) Joint Secretary Ministry of Power —Member (iii) Secretary, Central Electricity Authority —Member

Part-C

[See Rule 7]

Composition of Screening Committee for considering grant of Non-Functional Upgradation (NFU) to the posts included in Central Power Engineering (Group "A") Service:

Sl. No.	Name of the Post	Composition of Screening Committee
(1)	(2)	(3)
1.	Higher Administrative Grade	(i) Secretary, Ministry of Power —Chairman (ii) Chairperson, Central Electricity Authority —Member (iii) Chairman, Central Water Commission —Member
2.	Senior Administrative Grade, Junior Administrative Grade, STS (NFSG) and Time Scale	(i) Secretary, Ministry of Power —Chairman (ii) Chairperson, Central Electricity Authority —Member (iii) Member, Central Electricity Authority —Member

Schedule-IV

[See Column-3 Sr. No. 6, Part-A of Schedule-II]

Minimum educational qualification and age- limit for direct recruitment to posts in Central Power Engineering (Group A) Service on the basis of competitive examination to be conducted by the Union Public Service Commission:

(A) A candidate shall possess:-

- (a) Degree in Engineering from a University incorporated by an Act of the Central or State legislature in India or other Educational Institutions established as an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or

- (b) Passed Section A and B of the Institution Examinations of the Institution of Engineers (India); or
- (c) Obtained a Degree or Diploma in Engineering from such Foreign University or College or Institution and under such conditions as may be recognized by the Government for the purpose from time to time; or
- (d) Passed Graduate Membership Examination of the Institute of Electronics and Telecommunications Engineers (India); or
- (e) Passed Associate Membership Examination Part II and III or Sections A and B of the Aeronautical Society of India; or
- (f) Passed Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Radio Engineers, London held after November, 1959; or
- (g) MSc degree or its equivalent with Wireless Communication, Electronics, Radio Physics or Radio Engineering as a Special subject.

NOTE:

- (1) In exceptional cases, the Commission may treat a candidate, not possessing any of the above qualifications, as educationally qualified provided that the Commission is satisfied that he has passed examinations conducted by other institutions the standard of which in the opinion of the Commission, justified his admission to the examination.
- (2) A candidate who is otherwise qualified by virtue of his having taken a Degree from a foreign University which is not recognized by Government, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.
- (B) A candidate shall have attained the age of 21 years but not have attained the age of 30 years on the 1st day of January of the year in which the examination is held.

[F. No. A-12018/1/2014-Adm. I]

P. P. BOSE, Under Secy.